बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

सं0 :– 03 / भू0अ0नि0(3)विविध–12 / 2023.2321 पटना, दिनांक : 10/07/2026

आदेश

बंदोबस्त कार्यालय, पटना के पत्रांक 222 दिनांक 25.03.2025 द्वारा सुश्री सुप्रिया कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN13760) के विरूद्ध दिनांक 01.09.2024 से लगातार अनुपस्थित रहने एवं इस संबंधी इनसे फोन तथा वाट्सेप के माध्यम से सम्पर्क करने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए कार्रवाई की अनुशंसा की गयी है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में निदेशालय पत्रांक 2105 दिनांक 15.05.2025 द्वारा सुश्री सुप्रिया से 07 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसका प्रतिउत्तर इनके द्वारा समर्पित किया गया। इनके द्वारा चिकित्सीय कारणों से अनुपस्थित रहने की बात अंकित की गयी थी, परन्तु कोई चिकित्सीय साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया है। पुनः निदेशालय पत्रांक 3668 दिनांक 20.06.2025 द्वारा स्पष्टीकरण के समर्थन में चिकित्सीय साक्ष्य की मांग इनसे की गयी, जिसके आलोक में इनके द्वारा चिकित्सीय साक्ष्य समर्पित किया गया है।

सुश्री सुप्रिया द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं साक्ष्य पर स्पष्ट मंतव्य सहित अनुशंसा की मांग निदेशालय पत्रांक 3961 दिनांक 10.07.2025 द्वारा बंदोबस्त पदाधिकारी, पटना से की गयी। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 1509 दिनांक 17.12.2025 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य एवं सुश्री सुप्रिया द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा चिकित्सीय साक्ष्य का अवलोकन किया गया है। इनके द्वारा समर्पित चिकित्सक द्वारा निर्गत फिटनेश प्रमाण पत्र भ्रामक है। चूंकि इनके द्वारा दिनांक 23.06.2025 को समर्पित स्पष्टीकरण के साथ 05 माह बाद अर्थात दिनांक 04.11.2025 को निर्गत फिटनेश प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। साथ ही चिकित्सीय prescription की तिथि में भी Over Righting किया गया है। समर्पित चिकित्सीय साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि मात्र संविदा में बने रहने के लिए इनके द्वारा कार्यालय को भ्रामक साक्ष्य प्रस्तुत कर गुमराह किया जा रहा है। बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा भी यह मंतव्य दिया गया है कि इनमें सर्वे कार्य के प्रति रूचि का अभाव है।

चूंकि विशेष सर्वेक्षण कार्य समयबद्ध कार्यक्रम है, जिसे निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के उद्देश्य से विशेष सर्वेक्षण कर्मी भी अवगत हैं, इसके बावजूद सुश्री सुप्रिया लम्बी अवधि से अनुपस्थित हैं एवं अपनी अनुपस्थिति के संदर्भ में भ्रामक साक्ष्य प्रस्तुत कर कार्यालय को गुमराह करने का प्रयास कर रही हैं। यदि ऐसे संविदा कर्मी को संविदा में बनाए रखा जाता है, तो इसका प्रतिकूल प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर भी पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना उचित होगा।

अतः बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन / मंतव्य के आलोक में बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित (संविदा) नियोजन नियमावली, 2019 एवं संशोधन नियमावली, 2022 के नियम – 8(4) के तहत सुश्री सुप्रिया कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN13760) का संविदा नियोजन अनुपस्थिति की तिथि से समाप्त किया जाता है।

09/07/26

(सुहर्ष भगत)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)विविध–12/2023 2321 **पटना, दिनांक** :– 10/07/2026

प्रतिलिपि :– सुश्री सुप्रिया कुमारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN13760), बंदोबस्त कार्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Sd/- 09/07/26
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)विविध–12/2023 2321 **पटना, दिनांक** :– 10/07/2026

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Sd/- 09/07/26
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(3)विविध–12/2023 2321 **पटना, दिनांक** :– 10/07/2026

प्रतिलिपि :– संबंधित प्रोग्रामर, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को सूचनार्थ एवं निदेशालय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Sd/- 09/07/26
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप